

र व तारीख अहकाम इस हुकम की तामील में जारी हुए

12-6-18 पत्रा पत्नी राजन्ध लोक अदालत न्याय आपके द्वारे शीपिर कोर्ट केमर भारत में पेश हुई। न्युके दिनांक 7-6-18 को राजन्ध लोक अदालत न्याय आपके द्वारे केमर वॉरिंग में अपना श्री दिलीप सिंह पुत्र पुनम सिंह जालि राजपुरा निवासी वॉरिंग द्वारा उपस्थित होकर पार्किंग फन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे घर पर लोहे कि आली बगाने का कारखाना चलता है उनके धवनी प्रदुजन होने से मेरे द्वारे व निवास में उक्त जगह पर कारखाना बंद कर दिया है। लख उक्त कारखाना अन्तर्गत जगह पर स्वतन्त्र कर दिया गया है। अतः अन्तर्गत धारा 133 एच 1973 के तहत शारीर करना करता है। पार्किंग श्रीमति अश्वर कुपर पति मोहन सिंह जालि राजपुरा नि. वॉरिंग द्वारा प्रस्तुत पार्किंग फन में निवेदन किया गया कि अश्वर श्री दिलीप सिंह द्वारा अपने घर पर 26वर्षी मकान में अवेध रूप से कारखाना चला रहा था वह बंद कर दिया गया की अब किसी प्रकार कि धवनी प्रदुजन नही हो रहा है। अतः कार्यवाही बन्द कर शारीर करना करता है।

न्युके पिताश्री अधिकारी राजकिश कार्मि से दिनांक 7-6-18 को वास्तु होने से प्रस्तुत पार्किंग फन आज दिनांक 12-6-18 को अचल कर किता प्रस्तुत पार्किंग फन अनुसार अश्वर द्वारा अपने 26वर्षी मकान में लोहे कि आली बगाने का कारखाना बन्द कर दिया गया है। लख उक्त कारखाना अन्तर्गत स्वतन्त्र कर दिया जा चुका है। क्योंकि प्रकरण में जारी नोटिस की पालना में न्युमेन्ड उत्पन्न करने वाले कारण को पालिपुत्री

डा. वी. र. कुंवर  
ब्रह्मचारी  
दिलीप सिंह